न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 47/2017 (223 आरटीए) हमीरराम वगै. बनाम बाबूलाल वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2017/00093)

1 हमीरराम पुत्र श्री मानाराम,
2 सत्यनारायण पुत्र श्री मानाराम,
3 भींयाराम पुत्र श्री मानाराम,
4 भबूतराम पुत्र श्री मानाराम
सभी जातियान बिश्नोई, निवासीगण मतवालों की ढाणी बाला, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

.... अपीलांट्स

बनाम

1 बाबूलाल पुत्र श्री मानाराम
2 कोयल पत्नी श्री बाबूलाल
दोनों जातियान बिश्नोई, निवासीगण मतवालों की ढाणी बाला, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
3 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बिलाड़ा।

.... रेस्सपोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा दिनांक 26.04.2017 अंतर्गत राजस्व वाद सं. 53/2016

उपस्थित :

1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूलाल विश्नोई।
2 रेस्पो. सं. 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी।
3 रेस्पो. सं. 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

निर्णय

दिनांक : 13.08.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा के राजस्व वाद सं. 53/2016 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.04.2017 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक

13/8

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा के समक्ष धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पो सं. 1 की ओर से राजस्व वाद सं. 53/2016 पेश किया कि ग्राम मतवालों की ढाणी बाला की सरहद में आई हुई भूमि खसरा नं. 64 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा जिसके वादीगण पंजीबद्ध खातेदार हैं एवं शांतिपूर्ण रूप से काबिज हैं। जिसमें प्रतिवादीगण वादीगण को काश्त नहीं करने दे रहे हैं एवं भूमि का विकास नहीं करने दे रहे हैं अंत में स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही। वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया जिन्होंने उपस्थित होकर जबाबदावा पेश किया व वादी के दावे में अंकित तथ्यों का खण्डन किया। परंतु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने बिना साक्ष्य कलमबद्ध किए एवं बिना तनकीयात कायम किए मनमाने रूप से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दिए। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.04.2017 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूलाल विश्नोई ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि आलोच्य निर्णय व डिक्री दिनांक 26.04.2017 विधि विरुद्ध व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेज के विपरीत होने से काबिले निरस्त है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आदेशिका दिनांक 22.03.2017 में यह बताया है कि अधिवक्ता पक्षकारान तनकीयात कायम करवाना नहीं चाहते हैं, सीधी बहस करना चाहते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली बहस हेतु मुकर्रर कर दी जबकि तनकीयात कायम किए जाने के लिए अधिवक्तागण की सहमति की आवश्यकता नहीं हैं। यह न्यायालय का कर्तव्य है तथा एक विधिक प्रक्रिया है उक्त प्रक्रिया को अपनाए बिना कार्यवाही आगे नहीं चल सकती। इसके अलावा पत्रावली में साक्ष्य भी नहीं कराई ऐसी परिस्थिति में वादी का दावा सिद्ध नहीं हो सकता है। अतः प्रकरण में विधिक प्रक्रिया की पालना किए बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री खारिज योग्य हैं तदनुसार अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

5 रेस्पो. सं. 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी ने बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वादीगण की खातेदारी की भूमि है। प्रतिवादीगण द्वारा काश्त नहीं करने दी जा रही है। वादग्रस्त भूमि पब्लिक लैंड नहीं है अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन झूठा है। उभयपक्षकारान के अधिवक्ता के बीच सहमति होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बहस

13/8

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

सुनने के बाद खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की है। सहमति होने के कारण प्रकरण में तनकीयात व साक्ष्य की आवश्यकता नहीं रहती है। अपीलांट व रेस्पोडेंट सगे भाई हैं जो रेस्पो. सं. 1व 2 से अपीलांट ईर्ष्या रखते हैं व परेशान करने के लिए यह अपील पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में कोई विधिक त्रुटि नहीं हैं अतः अपील खारिज करने का निवेदन किया।

6 रेस्पो. सं. 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं हैं अतः तथ्य एवं परिस्थितियों के अनुसार उचित निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 प्रस्तुत अपील स्थाई निषेधाज्ञा के दावे में पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध की गई है जिसमें अपीलांट की मुख्य आपत्ति यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना तनकीयात व साक्ष्य के निर्णय पारित कर दिया है जो विधि विरुद्ध है।

इस प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उभयपक्ष अधिवक्तागण की सहमति से ही बिना तनकीयात व बिना साक्ष्य के बहस सुनी गई थी। चूंकि दावा स्थाई निषेधाज्ञा का है तथा ग्राम मतवालों की ढाणी बाला की सरहद में आई हुई भूमि खसरा नं. 64 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा जिसके वादीगण पंजीबद्ध खातेदार हैं। हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दावे के साथ संलग्न जमाबंदी संवत 2067 का अवलोकन किया जिसके अनुसार बाबूलाल पि. मानाराम, कोयली पत्नी बाबूलाल जाति विश्नोई सा.देह खातेदार दर्ज है। भूमि की किस्म बारानी–सैकण्ड दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण को सुना गया है तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादी का दावा स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किए हैं।

9 अपीलांट अधिवक्ता ने इस निर्णय को विधिक प्रक्रिया के विरुद्ध इस आधार पर बताया है कि प्रकरण में तनकीयात कायम किए बिना एवं साक्ष्य के बिना निर्णय पारित किया है। अपीलांट के अधिवक्ता के इस तर्क से हम सहमत हैं कि जबाब दावा आने के बाद तनकीयात कायम करके साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। परंतु प्रस्तुत प्रकरण धारा 188 का है जिसमें केवल मात्र यह देखा जाना है कि भूमि का स्वामित्व किसका है व कब्जा किसका है। चूंकि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उभयपक्षकारान ने सहमति से बहस की है जिसमें उभयपक्षकारान को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण की

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

प्रकृति और परिस्थिति को देखते हुए जो निर्णय पारित किया है उसे विधि विरुद्ध निर्णय नहीं कहा जा सकता। अतः अपीलांट अधिवक्ता की आपत्ति इस प्रकरण में मात्र तकनीकी त्रुटि प्रतीत होती है जो स्वीकार योग्य नहीं हैं। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत 2067 के अनुसार बाबूलाल पि. मानाराम, कोयली पत्नी बाबूलाल जाति विश्नोई सा.देह खातेदार दर्ज है। भूमि की किस्म बारानी–सैकण्ड दर्ज है। जिससे वादीगण खातेदार प्रमाणित हैं तथा भूमि की किस्म बारानी–सैकण्ड दर्ज होने से कृषि भूमि साबित है। जमाबंदी में दर्ज खातेदार का ही मौके पर कब्जा माना जाता है। प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष भी अपीलांट/प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जो जमाबंदी जैसे दस्तावेजी साक्ष्य को अवैध साबित कर सके। अतः प्रकरण की प्रकृति एवं समस्त तथ्यों पर विचार करने पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाई जाती है।

10 अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.04.2017 यथावत रखे जाते हैं। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

11 निर्णय आज दिनांक 13.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर

बइजलाज श्री दाताराम,आर.ए.एस

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2017/00093)

अपील संख्या 47/2017

अपीलांट		रेस्पोडेन्ट
1.हमीरराम पुत्र श्री मानाराम 2.सत्यनारायण पुत्र श्री मानाराम 3.भींयाराम पुत्र श्री मानाराम 4.भबूतराम पुत्र श्री मानाराम सभी जातियान बिश्नोई निवासीगण मतवालों की ढाणी बाला,तहसील बिलाडा जिला जोधपुर।	बनाम	1.बाबूलाल पुत्र श्री मानाराम 2.कोयल पत्नी श्री बाबूलाल दोनों जातियान बिश्नोई निवासीगण मतवालों की ढाणी बाला, तहसील बिलाडा जिला जोधपुर। 4.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बिलाडा।

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवम् डिक्री सहायक कलेक्टर, एवं उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा दिनांक 26/4/2017 अन्तर्गत राजस्व वाद सं 53/2016

यह अपील बतारीख 13/8/2018 बहाजरी अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूलाल विश्नोई एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 से 2 की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी एवं रेस्पोडेंट 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26/4/2017 यथावत रखे जाते है ।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ......00.......) रूपये ....00..... अदा करे खर्चा मुकदमा मातहत का ....00....... अदा करे

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 13/8/2018 को जारी हो किया गया।

[signature] 13/8/18

(दाताराम)

राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1.स्टाम्प अपील 2.स्टाम्प वकालतनाम 3.इजराय हुक्मनामा 4.वकील फीस बाबत् मीजान	/	1.स्टाम्प वकालतनामा 2.स्टाम्प अर्जी 3.इजराम हुक्मनामा 4.मेहनतामा मीजान	/

[signature] 13/8/18

(दाताराम)

राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर